(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1405–दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 5–1–2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक11/1999–2000 अपील

1– सुल्तान सिंह पुत्र भोगीराम
2– लाखन सिंह पुत्र बाबूसिंह
निवासी ग्राम खड़िया हार,
तहसील अम्बाह जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्य प्रदेश शासन
2–महिला सियावाई पुत्री बाबू सिंह
पत्नि हरीसिंह ग्राम लावोगी
तहसील बाड़ी जिला धौलपुर राजस्थान
3–महिला राजोवाई पुत्री बाबूसिंह
पत्नि धर्मसिंह ग्राम दौनारी
तहसील सेवढा जिला दतिया ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदक–1 के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

(अनावेदक–2,3 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 2 – 2 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 11/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–1–2006 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के यहॉ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम खड़ियाहार स्थित भूमि सर्वे नंबर 709 रकबा 0.637 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि अंकित किया है) भूमि के मालिक उनके वावा हरनाराण थे उसके वाद उनके पिता मालिक रहे एंव अब वह कास्त कर रहे हैं किन्तु मौजा पटवारी ने बिना किसी आदेश के खसरा के पक्का कृषक कालम से नाम हटा दिया है, इसलिये उन्हे भूमिस्वामी घोषित किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने प्रकरण नंबर 5/67-68 अ 57 दर्ज करके आदेश दिनांक 18-12-68 से आवेदकगण को भूमिस्वामी घोषित कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने शिकायत प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 18-12-68 अभिज्ञान में आने पर आदेश दिनांक 18-12-68 को पुनरावलोकन में लेने की अनुमति कलेक्टर मुरैना से चाही, जो प्रकरण क्रमांक 100/97-98 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 20-2-98 से प्रदान की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 18-12-68 का पुनरावलोकन करते हुये आदेश दिनांक 13-73-98 पारित किया एंव आदेश दिनांक 18-12-68 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 43/97-98 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 17-8-99 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त,चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 11/99-2000 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 5 जनवरी,06 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण एंव अनावेदक क्रमांक 1 के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 2,3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 100/97-98 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 20-2-98 से दी गई पुनरावलोकन अनुमति के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 2-3-98 से निरस्त हुई है। आवेदकगण ने संहिता की धारा 57 के अंतर्गत आवेदन देकर वादग्रस्त भूमि पर अभिलेख में नाम इन्द्राज करने की प्रार्थना की है जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 57 के प्रावधानों का भलीभॉति अध्य्यन किये बिना आदेश दिनांक 18-12-68 से आवेदकगण को भूमिस्वामी घोषित कर दिया था। संहिता की धारा 57 में व्यवस्था दी गई है कि जिन कृषकों के अधिकार 2-10-59 को समाप्त हो चुके, उन्हें पुर्नजीवित नहीं किया जा सकता एंव इसी धारा की उपधारा (2) के अनुसार ऐसी भूमियों पर कृषक के अधिकारों को पुनः वापिस नहीं किया जा सकता । शिकायती आवेदन के माध्यम से इन्हीं तथ्यों के ध्यान में आने पर अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त कर आदेश दिनांक 13-73-98 को पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 18-12-68 से निरस्त करते हुये विधिवत् कार्यवाही की है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होने से कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 17.8.99 से तथा अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 11/99-2000

अपील में पारित आदेश दिनांक 5-1-2006 से हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों के निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 11/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-1-2006 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर